जिला :– अररिया, बिहार।

<u>न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अररिया।</u>

उपस्थित–विनीत कुमार सिंह,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अररिया।

(निर्णय तिथि–18वीं मई 2026)
(एस0टी0 वाद संख्या –18/2017)
(रजि0 सं0–18/2017)
(आरोप अंतर्गत धारा–341/34, 323/34, 354/34, 504/34 भा0दं0सं0 एवं 3(i)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)

राज्य द्वारा सूचक मोसोमात मंजुला देवी, पे0– स्व0 अरूण रजक
साकिन–रामपुर आदि, थाना– भरगामा, जिला–अररिया

....सूचक।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– 1. श्री कलानंद राम (विशेष लोक अभियोजक)

बनाम्

(1)–योगेन्द्र मेहता, पे0– स्व0 महावीर मेहता, उम्र– 60 वर्ष (A1)
(2)–पप्पू मेहता, पे0– योगेन्द्र मेहता, उम्र– 36 वर्ष (A2)
(3)–रूपेश कुमार मेहता, पे0– योगेन्द्र मेहता, उम्र–30 वर्ष (A3)
सभी साकिन–सुकैला, थाना– भरगामा, जिला–अररिया

................................अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– श्री संजीव कुमार, विद्वान अधिवक्ता, अररिया।

फार्म–B

प्राथमिकी की तिथि–	14.09.2013
आरोप पत्र की तिथि–	31.10.2014
आरोप का गठन की तिथि–	21.01.2017
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि–	14.02.2017
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि–	18.02.2026
धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान की तिथि–	16.05.2026
निर्णय संरक्षित करने की तिथि–	18.05.2026
निर्णय की तिथि–	18.05.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि है तो–	नहीं

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति/दोषसिद्धि	दण्ड की मात्रा	धारा 428 द0प्र0सं0 के उद्‌दे यों के लिये, विचारण के दौरान अभिरक्षा– अवधि
A1	योगेन्द्र मेहता	24.12.2013	28.01.2014	341/34, 323/34, 354/34, 504/34 भा0दं0सं0 एवं 3(i)(x) एस0सी0/एस0 टी0 एक्ट	दोषमुक्त		
A2	पप्पू मेहता	08.10.2014	01.11.2014	.......DO......	दोषमुक्त		
A3	रूपेश कुमार मेहता	24.12.2013	28.01.2014	.......DO......	दोषमुक्त		

निर्णय

01. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **(1)–योगेन्द्र मेहता (A1), (2)–पप्पू मेहता (A2), (3)–रूपेश कुमार मेहता (A3)** को धारा 341/34, 323/34, 354/34, 504/34 भा0दं0सं0 एवं 3(i)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोपित एवं विचारित किया गया।

02. सूचक मोसोमात मंजुला देवी के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक–08.09.2013 को शाम के करीब 04:30 बजे वह घरेलु सामान खरीदने के लिए सुकेला हटिया गई थी, जब वह बीरवल पासवान के मछली दुकान पर पहुंची तो उसी क्रम में योगेन्द्र मेहता, पप्पू मेहता एवं रूपेश मेहता आए तथा कहने लगे कि माधरचोद धोबिनिया बहुत बड़ा नेता बन गई हो, तुम हम पर मुकदमा दायर कर केस कर दी हो, तुम केस उठा लो। सूचक द्वारा केस उठाने से मना करने पर तीनों अभियुक्तगण उसका बाल पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया तथा रूपेश मेहता माथा पर फाईट मारा। तीनो अभियुक्तगण मिलकर उसे लात, मुक्का एवं लाठी से मारने लगे, रूपेश सूचक के गले से चांदी का हार करीब 3 हजार रूपये का तथा नाक का नकमुन्नी करीब 12000 रूपये का छीन लिया। आसपास के लोग आए तथा बीच बचाव किए।

03. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 354, 379, 504, 506/34 भा0दं0सं0 एवं 3(i) (xi) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत फारबिसगंज अनुसूचित जाति/जनजाति थाना काण्ड संख्या– 27/2013 दिनांक–14.09.2013 दर्ज किया गया। सम्यक अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण

अधिकारी द्वारा आरोप पत्र संख्या–81/2014, दिनांक–31.10.2014 अंतर्गत धारा 341, 323, 354, 504 भा0दं0सं0 एवं 3(i) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण के विरूद्ध दाखिल किया गया, जिसके आधार पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–29. 11.2014 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र की धाराओं में ही संज्ञान लिया गया।

04. इस न्यायालय में अभियुक्तगण की उपस्थिति पूर्ण होने पर दिनांक–21.01.2017 को धारा 341/34, 323/34, 354/34, 504/34 भा0दं0सं0 एवं 3(i) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

05. अभियोजन द्वारा अपनी ओर से कुल 03 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक–18.02.2026 को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया तथा दिनांक–16.05.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिमसें उसने स्वयं को निर्दोष बताया है।

06. दिनांक–16.05.2026 को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर सफाई साक्ष्य बंद कर दोनों पक्षों का बहस सुना गया। दिनांक–18.05.2026 को दोनों पक्षों का बहस पूर्ण हुआ।

07. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

:– मंतव्य –:

08. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में 03 मौखिक साक्षियों PW-01 तिलक पासवान, PW-02 सदानंद मेहता, PW-03 रामानंद मेहता उर्फ राजू मेहता का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार का प्रदर्श अंकित नहीं किया गया है। इसके विपरीत बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

09. PW-01 तिलक पासवान नें अपने मुख्य परीक्षण में यह कथित किया है कि यह वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। घटना के समय वह पंजाब में था। पंजाब से साल भर के बाद घर आया तो सुना कि मंजुला देवी और योगेन्द्र मेहता के बीच बाताबाती हो गया था, उसी में मारपीट हो गया जिसमें मंजुला देवी जख्मी हो गई थी। पुलिस उससे पूछताछ नहीं की थी। साक्षी नें न्यायालय में उपस्थित अभियुत योगेन्द्र

मेहता को देखकर पहचान किया तथा अन्य अभियुक्तों को भी देखकर पहचानने का दावा किया है।

साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह अपनी आंखों से कोई घटना नहीं देखा था। मंजुला देवी कैसे जख्मी हुई उसे पता नहीं है। अभियुक्तगण उसके गांव का है इसलिए पहचानता है।

10. PW-02 सदानंद मेहता नें अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया, फलस्वरूप अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण भी किया गया परन्तु प्रतिपरीक्षण से भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ।

11. PW-03 रामानंद मेहता उर्फ राजु मेहता, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस मंजुला देवी नें योगेन्द्र, पप्पु मेहता पर मारपीट का किया है।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह बाहर में था, वहां से आने के बाद उसे घटना की जानकारी हुई। घटना को वह नहीं देखा तथा पुलिस उसका बयान नहीं ली थी।

:— निष्कर्ष—:

12. दोनों पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन की तरफ से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क यह है कि अभियोजन के सभी तीन साक्षियों ने घटना का आंशिक रूप से समर्थन किया है तथा इस केस में न्यायालय द्वारा सभी प्रक्रियाओं के बाद भी सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कोई सुसंगत साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तीनों साक्षियों नें घटना का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन इस केस में सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कोई सुसंगत साक्षी का साक्ष्य कराने में पूर्णतः विफल रही है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

13. अभियुक्तगण पर धारा 341/34, 323/34, 354/34, 504/34 भा0दं0सं0 एवं 3(i)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का आरोप लगाया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी नें घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 एवं 3 नें अपने साक्ष्य में कहा है कि वे घटना को अपनी आखों से नहीं देखे हैं तथा उसे किसी अन्य से घटना की जानकारी मिली है। अतः वे अनुश्रुत साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 2 को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घाषित किया गया है। अभियोजन इस केस के सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित किसी भी सुसंगत साक्षी का साक्ष्य कराने में

विफल रही है। इस प्रकार अभियोजन इस वाद को युक्तियुक्ति संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रही है।

—: आदेश :—

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन व तार्किक विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियुक्तगण **(1)—योगेन्द्र मेहता (A1), (2)—पप्पू मेहता (A2), (3)—रूपेश कुमार मेहता (A3)** को धारा 341/34, 323/34, 354/34, 504/34 भा0दं0सं0 एवं 3(i)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के दण्डनीय अपराध के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को जमानत के बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह नियत समय के भीतर अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें तथा निर्णय की एक प्रति जिला पदाधिकारी, अररिया को प्रेषित करें।

sd/-

(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक—18.05.2026

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत करके खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया।

ह0/—
(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक—18.05.2026

फार्म–स

अभियोजन पक्ष के साक्षियों की सूची :–

अभियोजन पक्ष के साक्षी–

साक्षी की श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
अभियोजन साक्षी सं0–1	तिलक पासवान	अनुश्रुत
अभियोजन साक्षी सं0–2	सदानंद मेहता	पक्षद्रोही
अभियोजन साक्षी सं0–3	रामानंद मेहता उर्फ राजु मेहता	अनुश्रुत

अभियोजन पक्ष के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है:–

क्रमांक	दस्तावेज	प्रदर्श
01	....	....

2–**बचाव पक्ष के प्रदर्श–** बचाव पक्ष द्वारा कोई भी मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ह0/–

(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–18.05.2026